न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 13/2020, जी.सी.एम.एस.नं. 2020/00040

1. रामरतन नाथ पुत्र गणपत नाथ
2. शंकर नाथ पुत्र गणपत नाथ
3. रामोतार नाथ पुत्र गणपत नाथ
4. पुखराज नाथ पुत्र गणपत नाथ
5. शम्भू नाथ पुत्र लड्डू नाथ
6. सुरज्ञान पुत्र लड्डू नाथ
7. नर्बदा देवी नाथ पत्नी लड्डू नाथ
8. बनवारी योगी पुत्र स्व0 जगन नाथ
9. मुकेश योगी पुत्र जगन नाथ
10. रामनिवासी पत्नी जगन नाथ
11. रामकरण योगी पुत्र केसरा योगी
12. घनश्याम योगी पुत्र केसरा योगी
13. प्रहलाद योगी पुत्र मोती नाथ (मृतक)
    - 13/1 मनोज पुत्र प्रहलाद
    - 13/2 कानी पत्नी प्रहलाद
14. प्रेमराज योगी पुत्र रामजीलाल योगी
15. रमेश योगी पुत्र रामजीलाल योगी
16. रामबाबू योगी पुत्र कैलाश योगी
17. शिवचरण योगी पुत्र विजयलाल योगी
18. सोपाल योगी पुत्र गोरखनाथ
19. बत्तीलाल नाथ पुत्र सूरजमल नाथ (मृतक)
    - 19/1 बलराम पुत्र बत्तीलाल
    - 19/2 मुरारी पुत्र बत्तीलाल
    - 19/3 छोटी पत्नी बत्तीलाल नाथ
20. मोहनलाल योगी पुत्र सूरजमल नाथ
21. घनश्याम नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ
22. देवीलाल नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ
23. सोभाग नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ
24. धीरज नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

समस्त जातियान नाथ निवासीयान बिच्छीदौना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर, राज0।

अपी0

बनाम

1. रामचरण पुत्र सूरजमल जाति नाथ निवासी बिच्छीदौना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर, राज0।
2. हेमराज पुत्र सूरजमल जाति नाथ निवासी बिच्छीदौना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर, राज0।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा मलारना डूंगर।
4. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, मलारना स्टेशन।
5. उप पंजीयक, मलारना डूंगर।
6. तहसीलदार, मलारना डूंगर।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मु0न0 20/2019 निर्णय दिनांक 24.12.2019)

उपस्थित अभिभषाक

1.अपी0 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

2.रेस्पों0 की ओर से श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एवं श्री आशीष कुमार जैन

16.12.21

निर्णय दिनांक 16.12.2021

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 20/2019 निर्णय दिनांक 24.12.2019 न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. एक ही कुटुम्ब व एक ही ग्राम बिच्छीदौना के स्थायी निवासी है। सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 व 2 की खातेदारी तथा सायलान/अपी0 सं. 1 [illegible] 2 की कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 में [illegible] नं. 323 में [illegible] 1190/1309 रकबा 0.6800 किस्म बारानी 2, ख.नं. 1217 रकबा 1.8500 किस्म [illegible] नी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5300 वाके ग्राम बिच्छीदौना में स्थित है। जिसके पुराने ख.नं. 933/2 मिन थे। जिसका कुल रकबा 10 बीघा है। उक्त विवादित आराजी गैरसायलान/रेस्पों. सं 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2 के पिता सूरजमल पुत्र गोपी को संपूर्ण कुटुम्ब जब शामिल में रहता था तथा सूरजमल सबसे बडा होने से सभी ने भागदौड व पैसा खर्च करके अकेले उसी के नाम आंवटित करवा दी थी। उक्त विवादित आराजीयात सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. की शामलाती आराजीयात होने से उक्त आराजी का आंवटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त का लाभ शामिल में बिना किसी बाधा व अवरोध के चलता आ रहा है तथा सहखातेदार अधिक होने से मौके पर उसका बंटवारा न करके फसल का बंटवारा निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार सूरजमल पुत्र गोपी नाथ की मृत्यु होने पर उनकी विरासत गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 व 2 के नाम खुल गई परन्तु गैरसायलान/रेस्पों. ने आज तक सायलान/अपी0 को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं की। सूरजमल अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.07.1992 को पांच आदमियों के समक्ष उक्त विवादित आराजीयात का बंटवारा कर गांव के अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर पंचनामा तहरीर कर दिया था। जिससे भी उक्त विवादित आराजीयात सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. की शामलाती आराजीयात बखूबी साबित होती है। उक्त बंटवारे नामें में सहखातेदार अधिक होने से प्रत्येक परिवार के एक—एक बढे मुखिया को उक्त बंटवारे में दर्ज कर दिया गया था। गैरसायलान/रेस्पों. के पिता सूरजमल पुत्र गोपी की मृत्यु होने के पश्चात् उनकी विरासत गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 व 2 के नाम खुलकर उनके नाम खातेदारी होने से गैरसायलान/रेस्पों. ने सायलान/अपी0 की सहमति लेकर बराबर का पैसा खर्च करके गैरसायलान/रेस्पों. सं. 3 व 4 से के.सी.सी प्राप्त की थी तथा के.सी.सी. का पैसा सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. ने हिस्से अनुसार बांट लिया था। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 ने सायलान/अपी0 से सहमति लेकर अपने हिस्से के अनुसार प्राप्त के.सी.सी. के रूपयों की उगाई सायलान/अपी0 से करके सन् 2018 में BRGB शाखा मलारना स्टेशन में जमा कर दिनांक 05.06.2018 को नामान्तरकरण सं. 254 से रहनमुक्त करवा ली। सायलान/अपी0 दिनांक 05.06.2018 के बाद से आज तक गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 से के.सी.सी. लेने के लिये बार—बार कहते आ रहे है परन्तु गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 के मन में बदनीयती आने से उसने कहा कि मैं आपको अब के.सी.सी. का पैसा नहीं दूंगा तथा उक्त आराजीयात खातेदारी में मेरे नाम है ओर मैं उसे दीगर व्यक्ति को बेचूंगा तो सायलान/अपी0 आश्चर्यचकित रह गये तथा सायलान/अपी0 ने कहा कि उक्त विवादित आराजी शामलाती आराजी है तुम अकेले उसे बेचकर हमारे पेट पर लात नहीं मार सकते हो तो गैरसायलान/रेस्पों. नाराज हुआ और कहने लगा कि उक्त आराजी मेरे खातेदारी की है में उसे बेच कर रहूंगा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। तब सायलान/अपी0 ने दिनांक 24.05 2019 को तहसील हाजा में पुरानी जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल की नकल ली।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

16.12.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैरसायलान/रेस्पों. को उक्त विवादित आराजी को बेचने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त विवादित आराजी सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. की शामलाती आराजी है। उस पर सभी का बराबर–बराबर हक व अधिकार है क्योंकि स्वं गैरसायलान/रेस्पों. के पिता ने उक्त विवादित आराजी का बंटवारा दिनांक 23.07.1992 को पांच आदमियों के समक्ष सायलान/अपी0 के पक्ष में लिखकर तहरीर किया था। उक्त विवादित आराजी का गैरसायलान/रेस्पों. एक मात्र खातेदार है जबकि कब्जा सभी का बराबर बराबर होने से तथा आंवटन के समय से कब्जा होने से सायलान/अपी0 गैरसायलान/रेस्पों. के साथ धारा 19 के प्रावधानानुसार व नियमानुसार खातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में कराने के कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया गया है कि गैरसायलान/रेस्पों. को ताफैसला इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे उक्त विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे न किसी दीगर व्यक्ति से करावें तथा उक्त विवादित आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे व मौके की व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/रेस्पों. का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0 के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

16.12.21

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की कतई अनदेखी की है, जबकि अपी0 का विवादित भूमि पर कदीमी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। अपी0 के पूर्वजों ने सन् 1995 में विवादित भूमि में 150 फुट चौडाई में पुख्ता बांध बनवाकर उबड–खाबड व टीलों में स्थित भूमि को समतल करके अपी0 ने दस लाख रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाई थी। विवादित भूमि पर मृतक सूरजमल पुत्र गोपी व रेस्पों. सं0 01 व 02 का कभी भी भौतिक कब्जा नहीं रहा। रेस्पों. सं. 1 व 2 विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मात्र नाम का इन्द्राज होने के आधार पर विवादित भूमि को रहन वय करने पर आमादा है। इस कारण अपी0 ने अधिनस्थ न्यायालय में इस्त करार हक की घोषणा हेतु वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2019 को स्थगन आदेश जारी किया एवं रेस्पों. की तलबी होने पर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

पर उपलब्ध तथ्यों की कतई अनदेखी की है। अपी0 के पक्ष में मृतक सूरजमल द्वारा दिनांक 23.07.92 को पंचो के समक्ष अपी0 के पूर्वजों के समक्ष विवादित भूमि को बंटवारे में देने के पश्चात् ही अपी0 ने विवादित भूमि में बांध बनवाकर उबड खाबड टीलों के रूप में स्थित भूमि को काबिल काश्त के योग्य बनाई थी। रेस्पों. सं. 1 व 2 ने कभी खेतों को जाकर नहीं देखा। विवादित भूमि साविक ख.नं. 922/2 रकबा 10 बीघा जिसके हाल नवीन ख.नं. 1190/1309, रकबा 0.68 है0, ख.नं. 1217 रकबा 1.85 है0 पर रेस्पों. सं. 1 व 2 का कभी भी भौतिक कब्जा नहीं रहा जिसकी जानकारी सम्पूर्ण ग्राम बिच्छीदौना को है। रेस्पों. सं. 1 व 2 विवादित भूमि की जमाबन्दी में इन्द्राज होने के आधार पर रहन वय करने पर आमादा है, जबकि अपी0 का विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा व हित निहित होने के कारण प्राईमा फेसी एवं सुविधा का सन्तुलन अपी0 के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपी0 को दिनांक 03.06.2020 को रेस्पों. सं. 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि को बेचने की धमकी देने से हुयी। इससे पूर्व अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि साविक ख.नं. 933/19 रकबा 10 बीघा रेस्पों. सं. 1 व 2 के पिता सूरजमल पुत्र गोपी जाति नाथ निवासी बिच्छीदौना कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि रही है। जिस पर रेस्पों. सं. 1 व 2 अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिस पर फसल काश्त कर रेस्पों. सं. 1 व 2 अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख.नं. 933 का नवीन ख.नं. 1190/1309 रकबा 0.68 है0, ख.नं. 1217 रकबा 1.85 है0 किस्म बारानी 2 बने है। रेस्पों. के पिता कि मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण रेस्पों. सं. 1 व 2 के नाम खुला था। उक्त भूमि पर रेस्पों. का निर्वाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि पर रेस्पों. द्वारा बैंक से तीन बार के.सी.सी. उठाई जा चुकी है एवं खातेदार रेस्पों. द्वारा के.सी.सी. का भुगतान किया जा चुका है। अपी0 चालाक व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति कि खातेदारी जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है। यदि अपी0 यदि रेस्पों. की भूमि पर कब्जा करने में कामयाब होते है तो रेस्पों. का परिवार भूखे मरने कि कगार पर पहुंच जायेगा। रेस्पों. के पिता द्वारा अपी0 को किसी भी तरह का बंटवारे का कोई दस्तावेज तहरीर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहीं किया है। अपी0 ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर यह अपील पेश कि है। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। अतः अपील खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवादित भूमि रेस्पों. सं. 1 व 2 कि ही पैतृक आराजीयात है। अपी0 यदि रेस्पों. की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करते है तो वे अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अतिक्रमी को किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं कि वे अपी0 कि खातेदारी की भूमि पर कब्जा करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. अपील मीमों के मद सं. 6 में अपी0 का कथन है कि "अपी0 के पक्ष में मृतक सूरजमल द्वारा दिनांक 23.07.92 को पंचों के समक्ष अपी0 के पूर्वजों के समक्ष विवादित भूमि को बंटवारे में देने के पश्चात् ही अपी0 ने विवादित भूमि में बांध बांधकर उबड खाबड टीलों के रूप में स्थित भूमि को काबिल काश्त के योग्य बनाई थी।" प्रार्थीगण ने लिखावट दिनांक 23.07.92 की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस लिखावट का कोई कानूनी महत्व नहीं है क्योंकि न तो यह स्टाम्पित है और न ही पंजीकृत है। जबकि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् किया गया है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु0नं0 20/2019 निर्णय दिनांक 24.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested

16.12.21

(बी0एल0रमण)

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner